फर्द अहकाम

उप खण्ड सांगानेर

गंगाराम बनाम गंगाराम गौड

मुकदमा /वर्ष 72/2023 : /20

तारीख आज्ञा कार्यवाही	अवस्था विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील विधिसम्मत होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड एडी तामील पेश करे। पत्रावली दि० 9/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड एडी तामील पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 16/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पक्षकार वकील प्रार्थी सुनी गई। पक्षकार वकील प्रार्थी व पत्रावली का अवलोकन करने पर मूल वाद के निस्तारण तक अपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जाता है कि वाद ग्राम [illegible] परवार हल्का [illegible] खसरा नं० 88, 89, 90, 91 [illegible] कुल किता 5 कुल रकबा 1.67 [illegible] व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज दफ्तर सेवा। तामील व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:36:47 IST
Reason: SelfAttested